99

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 1666–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–5–14 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण कमांक 39/2011–12/अपील.

———

मेसर्स एसोसियेटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज
लिमिटेड खोड़ी ग्राम, बड़वाह,
जिला खरगौन म0प्र0 ——— अपीलांट

विरूद्ध

1– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, जबलपुर म0प्र0
2– जिला आबकारी अधिकारी, सिवनी म0प्र0
3– जिला आबकारी अधिकारी, खरगौन म0प्र0
4– जिला आबकारी अधिकारी, एसोसियेटेड
अल्कोहल एंड ब्रेवरीज लि. बड़वाह,
जिला खरगौन म0प्र0 ——— रिस्पोंडेंट्स

———

अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी ।
रिस्पोंडेंट्स शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव गौतम ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6-10-2016को पारित)

———

यह अपील आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 39/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 3–12–13 के विरूद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे आबकारी अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2) सी के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3– प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपील मेमो में उद्धरित किये गये हैं ।

4– प्रत्यर्थी शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलाई इकाई द्वारा रेक्टीफाइड स्प्रिट परिवहन में निर्धारित मार्ग से अधिक मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि की गई है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा शास्ति आरोपित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित शास्ति को उचित बताते हुए अपील निराधार होने से निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा म0प्र0 आसवनी नियम 1995 के नियम 6(4) में निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि की गई है । विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया, परंतु अपीलार्थी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि निर्धारित मार्गहानि से हुई अधिक मार्ग हानि अपरिहार्य कारणों से कारित हुई है और उसमें अपीलार्थी इकाई की कोई असावधानी नहीं है । अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर नियम 8[84) के तहत जो शास्ति अधिरोपित की गई है वह उचित है । जहां तक आबकारी आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके समक्ष भी अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि निर्धारित मार्ग हानि से हुई अधिक मार्गहानि अपीलार्थी इकाई की असावधानी से नहीं हुई है । दर्शित परिस्थिति में आबकारी आयुक्त आयुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है तथा आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–5–14 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर